<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण कः - 186 / 17</u> संस्थापन दिनांक: --08 / 07 / 17 फाईलिंग नं. 438 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

मुन्नालाल पिता मोतीलाल सराठे उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड. नं. 17 बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 10.07.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 23.06.2017 को समय रात करीब 10:00 बजे, थाना आमला से 02 किमी पश्चिम में वार्ड नं. 17 बोड़खी आमला स्थित आपके घर के सामने फरियादी मिलिन को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 23. 06.2017 को रात्रि करीब 09:30 बजे आटो लेकर उसके घर जा रहा था। तभी उसने मुन्नालाल के घर के सामने रखी सायिकल हटा दी इसी बात पर से मुन्नालाल ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि मादरचोद तूने सायिकल को हाथ कैसे लगाया और उसके आकर उसके उपर झूम गया और उसके दांहिने हाथ के अंगूठे में चाब दिया। तभी उसका लड़का हरीश आया और उसने भी उसके साथ मारपीट किया। जब बीच बचाव करने फरियादी का लड़का हर्ष आया तो मुन्नालाल एवं उसके लड़के हरीश ने उसके साथ भी हाथ मुक्के से मारपीट की। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 331/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी मिलिन एवं आहत हर्ष का अभियुक्तगण मुन्नालाल एवं हरीश से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त मुन्नालाल एवं हरीश को धारा 294, 323 अथवा 323 / 34, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त मुन्नालाल के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त मुन्नालाल का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.06.2017 को समय रात करीब 10:00 बजे, थाना आमला से 02 किमी पश्चिम में वार्ड नं. 17 बोड़खी आमला स्थित आपके घर के सामने फरियादी मिलिन को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?''

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 मिलिन (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक 04.06.2017 की रात करीब 9 बजे की बोड़खी स्थित उसके घर के पास की है। घटना के समय वह आटो लेकर जा रहा था तभी उसने रास्ते में खड़ी सायिकल हटा दी थी जिस बात को लेकर अभियुक्त और उसके बीच विवाद हुआ था और विवाद में धक्का लगने से वह सायिकल के उपर गिर गया था जिससे उसके हाथ में सायिकल के किसी भाग से टकराने से चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि जब उसका अभियुक्त से विवाद हो रहा था तब अभियुक्त मुन्नालाल ने उसे दांहिने हाथ पर काट दिया था। साक्षी ने स्वतः में व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने उसे धक्का दिया था और दांहिने हाथ पर सायिकल का चैन वाला भाग लग गया था।

7 साक्षी हर्ष (अ.सा.—2) ने फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए व्यक्त किया है कि घटना के समय उसके पिता और अभियुक्तगण का विवाद चल रहा था जब उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण में से किसी का धक्का लगने से गिरने से उसे कोहनी पर चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसके पिता भी धक्का मुक्की में गिर गये थे जिससे उन्हें चोट आयी थी। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त मुन्नालाल ने उसके पिता को दांहिने अंगूठे में चाब दिया था। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त का उसके पिता से केवल विवाद हुआ था। साक्षी मिलिन (अ.सा.—1) एवं हर्ष (अ.सा.—2) अभियुक्त मुन्नालाल द्वारा आहत मिलिन को दांत से काटकर उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियुक्त से केवल वाद विवाद और धक्का मुक्की होने के संबंध में कथन किये हैं तथा धक्का मुक्की में गिरने से आहत मिलिन को चोट आने के संबंध में कथन किये हैं।

8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौच कर धक्का मुक्की करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटकर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी मिलिन को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त मुन्नालाल को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्त के मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)